(समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,जोधपुर

क्रमांक :– लेखा/बोली/वि.गृ/2019–20/2192 दिनांक :– 1/7/2019

ई–बोली सूचना वर्ष 01/2019–20

(संक्षिप्त नोट समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ)

राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ विद्यमान/नवनिर्मित धर्मशालाओ/विश्रांतिग्रहो को 5 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रकिया स्वरूप लीज/ठेका पर देने हेतु समान प्रकृति के कार्य करने वाले अनुभवी व इच्छुक पंजीकृत फर्मों/कम्पनी से राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार धर्मशाला जसवन्त सराय, रेल्वे स्टेशन के पास, जोधपुर (राज.) अनुमानित राशि 90,65,000/– (अक्षरे नब्बे लाख पेसठ हजार रूपये मात्र) के संदर्भ में ऑनलाइन ई–बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत नीलामी /बोली दर दिनांक 02.07.2019 से 31.07.2019 तक आमंत्रित की जाती हैं। जिसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट **www.eproc.rajasthan.gov.in** एवं **www. sppp.rajasthan.gov.in** तथा विभागीय वेबसाइट **www. devasthan.rajasthan.gov.in** पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

नोट :– प्री बिड मिटिंग दिनांक 29.07.2019 को सांय 03:00 बजे कार्यालय परिसर मे रखी गई हैं।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर

Not to be Published

कमांक :– लेखा/बोली/वि.गृ/2019–20/ दिनांक :–

प्रतिलिप : निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1. श्रीमान आयुक्त, देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर।
3. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् कोषाधिकारी, जोधपुर
5. निदेशक, जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार एक राज्य स्तरीय (जोधपुर अंक) समाचार पत्र व एक स्थानीय जोधपुर संबंधित समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस में शीघ्र प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
6. श्रीमान सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर प्रथम, द्वितीय बीकानेर/अजमेर/भरतपुर/उदयपुर/जोधपुर /कोटा/वृन्दावन/ऋषभदेव
7. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर

वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,जोधपुर

क्रमांक :–लेखा/बोली/वि.गृ/2019–20/ 2192 दिनांक :–1/7/2019

ई–बोली सूचना वर्ष 01/2019–20

राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ विद्यमान/नवनिर्मित धर्मशालाओ/विश्रांतिग्रहो को 5 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रकिया स्वरूप लीज/ठेका पर देने हेतु समान प्रकृति के कार्य करने वाले अनुभवी व इच्छुक पंजीकृत फर्मो/कम्पनी से निम्न विवरण अनुसार ऑनलाइन ई–बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत बोली दरें आमंत्रित की जाती हैं। :–

क्र. सं.	धर्मशाला/विश्रांतिग्रह का स्थान व अन्य विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	बोली शुल्क (रूपये में)	बोली प्रतिभूति ड्राफ्ट(रूपयों में)	ई–बोली प्रक्रिया शुल्क रू. में
1	2	3	4	5	6
1	**राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार धर्मशाला जसवन्त सराय, रेल्वे स्टेशन के पास जोधपुर,(51018 वर्ग फुट कवर्ड एरिया, साधारण रूम संख्या 57, डॉरमेन्टरी 269 बैड की।**	90,65,000 वार्षिक	7500	181300	500

बिड संख्या UBN NO.	
बोली दस्तावेज बिक्री की दिनांक, समय एवं दस्तावेज के प्रस्तुत करने की विधि	दिनांक 02.07.2019 समय 11.00 बजे से दिनांक 31.07. 2019 समय 03.00 बजे तक। बोली प्रस्तुत करने की विधि (Online at Eproc website)
प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज ई–प्रोक साईट पर ऑनलाईन जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक 02.07.2019 समय 11.00 बजे से दिनांक 31.07. 2019 समय 06.00 बजे तक
बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति, प्रोसेसिंग फीस के डीडी प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 01.08.2019 एवं समय 01.00 बजे तक
तकनिकी बिड खोले जाने की तिथि एवं समय व स्थान	दिनांक 01.08.2019 समय 3.00 सांय कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय व स्थान	दिनांक 02.08.2019 समय 02.00 बजे तक
प्री बिड मिटिंग (कार्यालय परिसर मे)	दिनांक 29.07.2019 सांय 03:00 बजे

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर

(समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,जोधपुर

क्रमांक :– लेखा / बोली / वि.गृ / 2019–20 / दिनांक :–

ई–बोली सूचना वर्ष 01 / 2019–20

(संक्षिप्त नोट समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ)

राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ विद्यमान / नवनिर्मित धर्मशालाओ / विश्रांतिग्रहो को 5 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रकिया स्वरूप लीज / ठेका पर देने हेतु समान प्रकृति के कार्य करने वाले अनुभवी व इच्छुक पंजीकृत फर्मो / कम्पनी से राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार धर्मशाला जसवन्त सराय, रेल्वे स्टेशन के पास, जोधपुर (राज.) अनुमानित राशि 90,65,000 / – (अक्षरे नब्बे लाख पेसठ हजार रूपये मात्र) के संदर्भ में ऑनलाइन ई–बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत नीलामी / बोली दर दिनांक 02.07.2019 से 31.07. 2019 तक आमंत्रित की जाती हैं। जिसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट **www.eproc.rajasthan.gov.in** एवं **www. sppp.rajasthan.gov.in** तथा विभागीय वेबसाइट **www. devasthan.rajasthan.gov.in** पर देखी / डाउनलोड की जा सकती है।

नोट :– प्री बिड मिटिंग दिनांक 29.07.2019 को सांय 03:00 बजे कार्यालय परिसर मे रखी गई हैं।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर

Not to be Published

कमांक :– लेखा / बोली / वि.गृ / 2019–20 / दिनांक :–

प्रतिलिप : निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. श्रीमान आयुक्त, देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर।
3. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् कोषाधिकारी, जोधपुर
5. निदेशक, जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार एक राज्य स्तरीय (जोधपुर अंक) समाचार पत्र व एक स्थानीय जोधपुर संबंधित समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस में शीघ्र प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
6. श्रीमान सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर प्रथम, द्वितीय बीकानेर / अजमेर / भरतपुर / उदयपुर / जोधपुर / कोटा / वृन्दावन / ऋषभदेव
7. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर

1. सम्पदा विवरण निम्नानुसार हैं एवं विभाग द्वारा निर्धारित किराया निम्नानुसार हैं:–

Ordinary Rooms					Dormitory						Attached properties for passenger facility		
Nos.	Size	Area	Rate	Amount	Nos.	Size	Area	No. of Beds	Rate	Amount	(A) Open space		
46	10x10	4600	400	3358000	2	21x10	420	9	100	164250	Nos.	Size	Area
3	10x4	120	400	219000	1	39.37x15.42	607.09	14	100	255500	1	100x60	6000
2	10x8	160	400	146000	1	22.64x15.42	349.11	9	100	164250	1	38.71x 28.87	1117.56
1	12.47x10.83	135.05	400	73000	1	30.51x12.47	380.46	5	100	91250	1	41.34x 12.47	515.51
1	11.25x11.32	127.35	400	73000	1	20.83x11.32	235.8	5	100	91250	1	105x10	1050
1	11.48x11.32	129.95	400	73000	2	49.54x 17.39	1723	54	100	985500	1	75x10	750
1	10.5x 9.35	98.18	400	73000	1	49.54x30.67	1519.39	51	100	930750	1	10x10	100
1	12.79x 12.79	163.58	400	73000	1	34.12x 36.09	1231.39	38	100	693500	1	33.25x 10	332.5
1	12.47x 12.79	159.49	400	73000	1	38.38x 29.53	1133.36	18	100	328500	1	41.83x 9.51	397.8
Total		**5693.6**		**4161000**	1	24.93x 24.93	621.5	18	100	328500	1	35.76x 13.78	492.77
					1	16.73x 26.57	444.52	12	100	219000	1	78x10	780
					1	16.73x 26.57	444.52	12	100	219000	1	190x 104	19760
					1	28.54x 24.93	711.5	18	100	328500			**31296.14**
					1	30.51x12.47	380.46	6	100	109500			
							10202.1			**4909250**	**(C) Staff room**		
											1	39.7x21.65	859.51
											(D) W.C/BathVerandah		
											12		2589.23
											(B) Office		
											1	39.7x9.51	377.55
Total area of building given on lease													**51018.13**
					Total cost					**9070250**			
						Ninty lac Seventy thousand Two Hundred fifty only							

Note:

(क) VIP रूम से तात्पर्य उस कक्ष से है जिसमे ए.सी. सुविधा के साथ अटेच्ड टॉयलेट व टीवी सुविधा तथा बेहतर शयन व्यवस्था का होना आवश्यक होगा। किसी कक्ष को इस रूप में घोषित करने से पूर्व विभाग द्वारा निर्धारित अधिकारी अथवा समिति द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक होगा।

(ख) बोलीदाता / लीजधारक उक्त निर्धारित किराये में सीजन के हिसाब से स्वयं के स्तर पर दरों में कटौती कर सकने हेतु अधिकृत होगा। उदाहरणार्थ वह विशेषतः ऑफ सीजन में कम दर रखकर ऑक्यूपेंसी बढा सकता है।

(ग) देवस्थान विभाग यदि आवश्यक हुआ तो प्रति वर्ष कमरों की दरों का पुनर्निर्धारण कर सकेगा।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर

-भाग अ

1. यहनीलामी/बोली वेबसाइटं **www. sppp.rajasthan.gov.in**तथाविभागीय वेबसाइट **www. devsthan.rajasthan.gov.in** पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है। नीलामीमें भाग लेने हेतु वेबसाइट **www. eproc.rajasthan.gov.in** परद्वि–भाग बोली सम्बन्धी निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए, वेबसाइट पर उपलब्ध इलैक्ट्रोनिक फारमेट के माध्यम से ही ऑनलाईन सम्बन्धित अभिलेख अपलोड एवं निलामी दर प्रस्तावित किये जा सकेगें।
2. नीलामी दर वेबसाइट **http:// www. eproc.rajasthan.gov.in**पर निर्धारित दिनांक एवं समय तकडाउनलोड/अपलोड करवाया जा सकता है एवं इलैक्ट्रोनिक फारमेट में वेबसाइट **http:// www. eproc.rajasthan.gov.in** पर अपलोड किये गए प्रस्ताव प्रथम चरण में तकनीकी बिड/लिफाफा पर निर्धारित दिनांक एवं समय तक इस कार्यालय में डाउनलोड की जावेगी। तकनीकी बिड के मुल्यांकन में योग्य पाये गये व्यवसायियों /फर्मो की वित्तीय बिड खोलने के संबंध में व्यक्तिगत रूप से/ई–मेल द्वारा पृथक से सूचना दी जाएगी। यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है तो अगले कार्य दिवस को उसी समय व उसी स्थान पर सम्बन्धित कार्यवाही की जावेगी।
3. उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 व 5 में दर्शाई गईबोली शुल्क व धरोहर राशि के अलग–अलग डी.डी. सहायक आयुक्त देवस्थान विभागजोधपुरके नामजोधपुर मेंभुगतान योग्य बनवानी होगी । क्रम संख्या 6 मे अंकित प्रकिया शुल्क डिमाण्ड ड्राफट मैनेजिंग डायरेक्टर आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य बनवाना होगा। उक्त तीनों डी.डी. की प्रति आनलाईन अपलोड करनी होगी। उपरान्तबोलीदाता द्वारा बोली शुल्क ,धरोहर राशि व प्रक्रिया शुल्कके मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट पर निर्धारित दिनांक एवं समय तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा कराने आवश्यक है। अन्यथा सम्बन्धित बोलीदाताके ऑनलाईन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जावेगा।
4. किसी भी बोली/बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
5. निर्धारित दिनांक को बोली खोलने के उपरान्त प्रस्तावित दर पर कार्य में असमर्थता या दर में संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा होने पर धरोहर राशि जब्ति/शास्ति एवं अगामी बोली से वंचित/अयोग्य आदि की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
6. ई–बोली प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अन्य आवश्यक निर्देश।

   (अ) इस कार्य में रूचि रखने वाले एव निलामी में भाग लेने के इच्छुक पंजीकृत फर्मों/कम्पनी को इन्टरनेट साईट **http:// www. eproc.rajasthan.gov.in** पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सार्टिफिकेट, इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रोनिक बोली में लॉग–ईन/साईन करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सार्टिफिकेट सी.सी.ए. (**CCA**) द्वारा स्वीकृत एजेंसी से प्राप्त कर सकते है। जिन बोलीदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सार्टिफिकेट है, नया डिजिटल सार्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नही है।

   (ब) बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फारमेट (शुल्क, तकनीकी, वित्तीय आदि)में वेबसाइट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा बोली अमान्य होगी। कोई भी निलामी प्रस्ताव भौतिक फार्म में स्वीकार नही होगा।

(स) इलैक्ट्रोनिक बोली प्रपत्र को अपलोड कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे की बोली प्रपत्र से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वयं हस्ताक्षर युक्त स्कैन संलग्न कर दी गई है। यथा शुल्क की फोटोप्रतियां, पहचान पत्र, पेन कार्ड, पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जी.एस. टी. प्रमाण पत्र, गत तीन वर्ष का टर्नऑवर आदि।

(द)निर्धारित दिनांक तक कोई बोलीदाता बोलीदस्तावेज इलैक्ट्रोनिकली अपलोड कराने में किसी कारण से असफल/देरी हो जाती है तो उसका जिम्मेवार विभाग नही होगा।

(र) बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी कॉलमों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑन लाइन किया जावे।

7. शर्तयुक्त बोली/निलामी दर मान्य नही होगी।
8. बोली की अन्य शर्ते/विवरण की जानकारी किसी कार्य दिवस को कार्यालय मे प्राप्त की जा सकती है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय में दिनांक 29.07.2019 को दोपहर 03:00 बजे पूर्व बोली बैठक(**Pre-bid meeting**) रखी जाएगी जिसमें इच्छुक बोलीदाता सम्बन्धित जानकारी के लिए आमंत्रित है।
9. सफलतम बोलीदाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (**Performance security**) बोली राशि का 5 प्रतिशत जमा करा अनुबंध सम्पादित करना होगा जिसमें बोली प्रतिभूति का समायोजन किया जा सकेगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति **eGRAS** बैंक ड्राफ्ट, राष्ट्रीय बचत पत्र, बैंक गारंटी, फिक्स डिपोजिट के रूप में भी दी जा सकती है।
10. अधिकतम बोली/सर्वाधित लाभप्रद बोली को स्वीकृत किया जायेगा।

शर्तेंभाग ब–

1. बोलीदाता की पात्रता व आर्थिक स्थिति :–बोलीदाता आपराधिक पृष्ठ भूमि का नही होना चाहिये। बोलीदाता को बोली के समय अन्य विभागीय सूचना के साथ–साथ आवश्यक रूप से अपना आधार नं., पैन नंबर, मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी देना होगा। किसी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रूप मे प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
2. बोली मे भाग लेने के लिये बोलीदाता का न्यूनतम वार्षिक औसत टर्न ओवर उस सम्पदा कीआरक्षित मूल्य के दोगुने के बराबर होना आवश्यक होगा।यदि किसी कारण से बोली लगाने हेतु कोई बोलीदाता नही आता है, तो यह राशि घटाई जा सकेगी। विभाग की महत्वपूर्ण एवं किमती परिसम्पत्तियों को लम्बी अवधि हेतु लीज पर दिया जाना है अतः अनुमोदित 5 वर्ष के लिए लीज की राशि की सुरक्षित वसूली के क्रम में बोलीदाता से पिछले तीन वर्ष (वर्ष 2016–17, 17–18, 18–19)की आय का रिटर्न एवं सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बैलेंस शीट की प्रतियां तथा नियमानुसार गारंटी लिया जाना होगा। होटल/विश्राम गृह/धर्मशाला संचालन करने का पिछले 3 वर्षो का अनुभव होना आवश्यक है, जिसके दस्तावेज के रूप में पिछले 3 वर्ष (वर्ष 2016–17, 17–18, 18–19) की सी.ए. द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट जिसमें इस व्यवसाय से संबंधित आय का उल्लेख हो सलंग्न करना होगा।
3. यदि कोई साझेदारी फर्म बोली लगाती है तो बोलीदाता फर्म को बोली लगाते समय रजिस्ट्रर्ड साझेदारी संलेख प्रस्तुत/अपलोड करनी होगी, अन्यथा बोली मे भाग नही ले सकती।
4. संपदा की बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व निर्धारित बोली प्रतिभूति जमा करानी होगा। इस हेतु बोली से पूर्व नियमानुसार अनुमोदित राशि का 2 प्रतिशत धरोहर राशि वसूल की जायेगी। बोली हेतु असफल रहने पर नियमानुसार राशि वापस की जाएगी।
5. जिस व्यक्ति/साझेदारी फर्म के नाम अधिकतम बोली प्रस्ताव स्वीकृत होगा, उसको 3 माह की अग्रिम राशि उसी समयजमा करवानी होगी, अन्यथा बोली प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी।
6. अधिकतम बोलीदाता के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर को प्रेषित किये जाएगे। आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर से स्वीकृति प्राप्त होने तक बोलीदाता को इन्तजार करना होगा। यदियह स्वीकृति प्राप्त नही होती, तो बोलीदाता अपनी बोली प्रतिभूति व अग्रिम जमा राशि बिना ब्याज के वापस प्राप्त कर सकता हैं। इस अवधि के इन्तजार नही किये जाने पर या संपदा की जरूरत नही होने पर बोलीदाता संपदा किराये पर नही लेना चाहे तो बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई अग्रिम राशि मय बोली प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा। जिसमे बोलीदाता किसी भी प्रकार की आपत्ति नही कर सकेगा।
7. अधिकतम बोलीदाता के नाम सपंदा निर्धारित राशि पर देने की स्वीकृति होने पर जरिये पत्र उनको सूचित किया जाएगा कि वह आकर संपदा का नियमानुसार कब्जा प्राप्त करें। यदि उक्त पत्र अधिकतम बोलीदाता द्वारा नहीं लिया जाएगा, तो उसके द्वारा सूचित मोबाईल नम्बर, ई–मेल आई.डी. पर सूचना प्रेषित करते हुए पत्र संपदा पर चस्पा कर दी जाएगी तथ विभागीय वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा, फिर भी पत्र में वर्णित अवधि में संपदा का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया, तो यह मान लिया जाएगा कि वह संपदा किराये पर नहीं लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा कराई गयी तीन माह की अग्रिम राशि जब्त करके संपदा पुनः नीलाम की जाएगी।
8. संपदा लीज पर देने की सक्षम स्वीकृति की सूचना अधिकतम बोलीदाता को मिलने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर उसे अनुबंध पत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा तथा निर्धारित अवधि मे अनुबंध पत्र निष्पादित नही करने पर उसका अधिकतम बोलीदाता के रूप मे हक समाप्त हो जाएगा तथा उसकी बोली प्रतिभूति मय अग्रिम जमा राशि जब्त हो जावेगी एवं विभाग पुनः नयी बोली कर सकेगा अथवा संपदा का उपयोग अन्य विकल्प के रूप मे कर सकेगा। अनुबंध पत्र लिखने पर ही संपदा का कब्जा सुपर्द किया जावेगा। अनुबंध पत्र स्वंय को खर्चे से ही पंजीयन कराना होगा।
9. अनुबंधकर्ता को उक्त लीज राशि के अनुरूप दी जाने वाली निर्धारित आयकर राशि जीएसटी आदि, का भुगतान स्वयं करना होगा एवं जी.एस.टी.आई.एन. नम्बर की प्रति सलंग्न करनी होगी।

इस प्रकृति के कार्यों के सम्बन्धित अन्य कर आदि का समस्त उत्तरदायित्व बोलीदाता स्वंय का होगा।

10. अनुबंधकर्ता को नियमानुसार देय राशि विभाग के खाते मे ऑनलाईन अथवा चैक रूप मे अथवा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जाने पर मंदिर/संस्था के प्रबंधक के पास अथवा सहायक आयुक्त देवस्थान के कार्यालय मे अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा, अन्यथा 18 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि की वसूली की जाएगी तथा अनुबंधकर्ता को बेदखली करने की कार्यवाही भी देवस्थान विभाग कर सकेगा।
11. अनुबंधकर्ता द्वारा बिजली पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा तथा सम्बन्धित बिल का भुगतान स्वयं ही करना होगा। अनुबंध समाप्ति के समय अनुबंधकर्ता को नो ड्यूज प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उससे बकाया राशि वसूली के साथ–साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध अवधि के दौरान यदि समय पर उक्त राशि का भुगतान नहीं पाया गया, तो भी उससे राशि वसूली के साथ–साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
12. यदि अनुबंधकर्ता निर्धारित समय पर संपदा रिक्त नही करता है या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या बोली की शर्तो का उल्लंघन करता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि जब्त करते हुए उसके विरूद्ध विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
13. यदि विभाग की अनुमति के पश्चात् भी अगर नगर परिषद या राज्य सरकार द्वारा नियमों के प्रावधानो के कारण आपत्ति व्यक्त की गई तो इस संबंध मे सम्पदा संबंधी प्रावधानो एवं नियमो का अवलोकन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। बोलीदाता अनुबंधकर्ता द्वारा कारित त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. अनुबन्ध पत्र मे वर्णित किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर लीजधारक के विरूद्ध धर्मशाला से बेदखल करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1964 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर धर्मशाला की बकाया राशि की वसूली एवं कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जा सकेगीं।
15. लीज की अवधि मे लीजधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति मे लीज का अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं विभाग धर्मशाला का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
16. यदि लीजधारक धर्मशाला को निर्धारित अवधि के पूर्व रिक्त/सुपुर्द करना चाहेगा तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह बोली प्रक्रिया संबंधी व्यय को क्षतिपूर्ति स्वरूप जमा कराते हुए खाली करने की न्यूनतम 6 माह पूर्व इसकी लिखित सूचना संबंधित अधिकारी को देगा, अन्यथा उसे ब्लैक लिस्ट करते हुए समस्त राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी। लीजधारक को यह सुविधा 1 वर्ष के उपरान्त ही प्राप्त होगी।
17. लीज राशि का देय होना:–प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत बोली में देय राशि के अनुसार तीन माह की अनुमोदित लीज राशि अग्रिम रूप देय होगी। इसके आगे कुल वार्षिक लीज राशि में से प्रत्येक 3 माह की राशि भी अग्रिम रूप देय होगी। निर्धारित राशि देय होने के पूर्व माह की 10 तारीख तक देय राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।
18. लीज राशि में वृद्धि:– एक बार संचालन हेतु बोली की जो राशि और अवधि तय होगी, उस अवधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि किसी आकस्मिक या प्रशासनिक कारण से अग्रिम बोली की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती, तो लीज प्रारम्भ से प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से वृद्वि की जायेगी।
19. विश्राम हेतु आने व रूकने वाले के लिए प्रक्रिया:–अनुबंधकर्ता को प्रत्येक बुंकिंग विभाग द्वारा दिए गए पोर्टल पर ऑनलाईन रूप से दर्ज करनी होगी। यदि किसी कारणवश किसी स्थानविशेष पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है तो विभागीय अनुमति से इसमें शिथिलता दी जा सकेगी। अनुबंधकर्ता अपनी बुकिंग के लिए किसी कॉमर्शियल पोर्टल का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होगा। इस संबंध में ऐसे पोर्टल से होने वाले किसी भी क्षति के लिए केवल अनुबंधकर्ता ही उत्तरदायी होगा।
20. धर्मशाला में व्यवस्था संबंधी प्रावधान:–

(1) संपदा जैसी स्थिति में हैं, वैसी स्थिति में दी जाएगी एवं लीज समाप्ति पश्चात् जिस स्थिति में सुपुर्द की गयी थी, उसी स्थिति में विभाग को वापस सुपुर्द करनी होगी। विभाग किसी प्रकार की मरम्मत परिवर्तन आदि के लिए उत्तरदायी नही होगा। विभाग द्वारा अनुबंधकर्ता को सभंलाई जाने वाली सामग्री की लिखित सूची प्रदान की जाएगी, जिसे उसे अच्छी स्थिति में वापस करना होगा। इसमें कन्ज्यूमेबल आइटम्स की पृथक् से सूची बनायी जा सकेगी, जिसे वेव-ऑफ किया जा सकेगा।

(2) देवस्थान विभाग द्वारा संपदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा।

(3) संपदा में अनुबंधकर्ता किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की बिना अनुमति के नहीं करायेगा। संपदा की साधारण रंगाई, सफेदी, एवं मरम्मत आदि विभाग की स्वीकृति पर अनुबंधकर्ता स्वंय के व्यय पर करायेगा। अनुबंधकर्ता को सम्पदा की समुचित साफ-सफाई के साथ-साथ परिसर में वृक्षारोपण/गमले में फूल लगाने और उनकी देखभाल की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यकतानुसार रूफ वाटर/रेन वाटरहार्वेस्टिंग की सुविधा उसकी स्वयं की लागत पर विकसित करने की सुविधा दी जा सकेगी।

21. यदि संपदा के क्षेत्र मे किसी राजकीय प्रावधान मे परिवर्तन के कारण लीज अवधि मे संचालन मे प्रतिबंध लागू होता है तो देवस्थान विभाग द्वारा लीज अवधि मे उक्तानुसार अनुबंध समाप्त किया जा सकता है और यदि लीजधारक द्वारा कोई अतिरिक्त राशि जमा की गई होगी तो वह बिना ब्याज के वापस दी जाएगी।
22. देवस्थान विभाग के अधिकारी द्वारा किसी भी समय सम्पदा और उसके संचालन का निरीक्षण किया जा सकेगा। त्रुटि पाए जाने पर उसे नोटिस देते हुए यथा आवश्यक अनुबंध निरस्त करने अथवा शास्ति लगाने या दोनो की कार्यवाही की जा सकेगी।
23. बोलीदाता को संबंधित विभाग से वांछित लाईसेंस स्वंय प्राप्त करना होगा तथा स्वागत कक्ष में उसे प्रदर्शित करना होगा।
24. आकस्मिक कार्यो यथा बाढ राहत, चुनाव महामारी आदि की दशा मे परिसर संबंधित जिला कलक्टर द्वारा अस्थाई रूप से अधिगृहीत किया जा सकेगा, जिसका पृथक से किराया देय नही होगा परन्तु अवधि जिसके लिए परिसर अधिगृहीत किया गया उतने दिन या माह की गणनानुसार देय राशि प्रथम पक्ष/देवस्थान विभाग प्राप्त नही करेगा।
25. अनुबंध पत्र के निष्पादन मे देय स्टॉम्प-रजिस्ट्री शुल्क और जो भी कानूनी व्यय होगा, उस सारे व्यय की राशि अदा करने का दायित्व लीजधारक का होगा।
26. अनुबंधकर्ता सम्पदा मे किसी प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन अथवा यात्रियो के सुविधार्थ साज सज्जा हेतु सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर से अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेगा।
27. देवस्थान विभाग के कर्मचारियो/अधिकारियो या उनके द्वारा अनुमोदित राजकीय कर्मचारियो/अधिकारियो या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियो के लिए प्रत्येक धर्मशाला मे 50 प्रतिशत की दर पर प्राथमिकता से दिए जाने की व्यवस्था होगी। पूर्व सूचना होने पर उनके लिये दो कमरे आरक्षित रखे जायेगें।
28. अनुबंधकर्ता स्वयं के स्तर पर रूकने वाले यात्रियो के लिये ट्रेवल एंड गाईड सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वतंत्र होगा, किन्तु यह किसी रूप में रूकने वाले के लिए बाध्यकारी नही होगा। साथ ही इसकी दरें भी यहां पर प्रदर्शित होगी।
29. लीज अवधि को आगे नही बढाया जायेगा। यदि अग्रिम निलामी बोली प्रक्रिया पूर्ण नही हो पाती है तो देय राशि पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि करने की शर्त पर लीज राशि मे 5 वर्ष बाद 25 प्रतिशत वृद्धि की आपसी सहमति से अवधि बढायी जा सकेगी।
30. अनुबंधकर्ता को सम्पदा के साईनबोर्ड के उपर स्पष्ट रूप से देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम साईज की पट्टी पर राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार धर्मशाला जसवन्त सराय देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की सम्पदा अंकित करना आवश्यक होगा। देवस्थान विभाग द्वारा सम्पदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा।

31. बोलीदाता द्वारा बोली अपलोड किये जाने से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में धर्मशाला का निरीक्षण, एवं कमरों का विवरण आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।विभाग द्वारा सम्पदा जैसी भी स्थिति मे है अनुबंधकर्ता को सुपुर्द की जायेगी, विभाग किसी प्रकार की मरम्मत एवं परिवर्तन आदि के लिये उत्तरदायी नही होगा।

32. सम्पदा का नक्शा एक पृष्ठ मे संलग्न अपलोडेड हैं एवं उसके अनुसार सम्पदा विवरण निम्नानुसार हैं एवं विभाग द्वारा निर्धारित किराया निम्नानुसार हैं:–

Rooms			Hall			Verandah			Office			Staff room			W.C/BathVerandah			Open area
Nos.	Size	Area	Nos.	Size	Area	Nos.	Size	Area	Nos.	Size	Area	Nos.	Size	Area	Nos.	Size	Area	
46	10x10	4600	2	49.54x17.39	1723	1	78x10	780	1	39.7x9.51	377.55	1	39.7x21.65	859.51	1	10.83x8.86	95.95	38.71x28.87=1117.56
3	10x4	120	1	49.54x30.67	1519.39	1	105x10	1050							1	9.35x7.05	65.92	41.34x12.47=515.51
2	21x10	420	1	34.12x36.09	1231.39	1	75x10	750							1	3.44x9.35	32.16	190x104=19760
2	10x8	160	1	38.38x29.53	1133.36	1	10x10	100							1	7.56x9.51	71.9	100x60 = 6000
1	39.37x15.42	607.09	1	24.93x24.93	621.5	1	33.25x10	332.5							1	23.29x7.22	168.15	
1	22.64x15.42	349.11	1	16.73x26.57	444.52	1	41.83x9.51	397.8							1	23.29x7.22	168.15	
1	30.51x12.47	380.46	1	12.47x12.79	159.49	1	35.76x13.78	492.77							1	92.85x5.58	518.1	
1	12.47x10.83	135.05	1	16.73x26.57	444.52										1	75.13x7.22	542.44	
1	30.51x12.47	380.46	1	28.54x24.93	711.5										1	29.53x6.4	188.99	
1	11.25x11.32	127.35	1	12.79x12.79	163.58										1	23.95x6.89	165.02	
1	11.48x11.32	129.95													1	15.75x9.84	154.98	
1	20.83x11.32	235.8													1	13.12x11.48	150.62	
1	10.5x9.35	98.18													1	14.27x18.7	266.85	
Total		7743.5			8152.25			3903.1			377.55			859.51			2589.23	27393.07
Total area																		51018.13

Ordinary Rooms					Dormitory						Attached properties for passenger facility		
Nos.	Size	Area	Rate	Amount	Nos.	Size	Area	No. of Beds	Rate	Amount	(A) Open space		
46	10x10	4600	400	3358000	2	21x10	420	9	100	164250	Nos.	Size	Area
3	10x4	120	400	219000	1	39.37x15.42	607.09	14	100	255500	1	100x60	6000
2	10x8	160	400	146000	1	22.64x15.42	349.11	9	100	164250	1	38.71x 28.87	1117.56
1	12.47x10.83	135.05	400	73000	1	30.51x12.47	380.46	5	100	91250	1	41.34x 12.47	515.51
1	11.25x11.32	127.35	400	73000	1	20.83x11.32	235.8	5	100	91250	1	105x10	1050
1	11.48x11.32	129.95	400	73000	2	49.54x 17.39	1723	54	100	985500	1	75x10	750
1	10.5x 9.35	98.18	400	73000	1	49.54x30.67	1519.39	51	100	930750	1	10x10	100
1	12.79x 12.79	163.58	400	73000	1	34.12x 36.09	1231.39	38	100	693500	1	33.25x 10	332.5
1	12.47x 12.79	159.49	400	73000	1	38.38x 29.53	1133.36	18	100	328500	1	41.83x 9.51	397.8
Total		5693.6		**4161000**	1	24.93x 24.93	621.5	18	100	328500	1	35.76x 13.78	492.77
					1	16.73x 26.57	444.52	12	100	219000	1	78x10	780
					1	16.73x 26.57	444.52	12	100	219000	1	190x 104	19760
					1	28.54x 24.93	711.5	18	100	328500			**31296.14**
					1	30.51x12.47	380.46	6	100	109500			
							10202.1			**4909250**	**(C) Staff room**		
											1	39.7x21.65	859.51
											(D) W.C/BathVerandah		
											12		2589.23
											(B) Office		
											1	39.7x9.51	377.55
Total area of building given on lease													**51018.13**
					Total cost					**9070250**			
						Ninty lac Seventy thousand Two Hundred fifty only							

33. अनुबंधकर्ता को सम्पदा मे निम्न चीजे रखनी आवश्यक होगी :–

1. स्वागत पटल मय उपयुक्त सुविधा एवं आवश्यक उपयुक्त मानव संसाधन।
2. शिकायत/फीडबैक पुस्तिका व पेटीका
3. कमरे, भोजन व अन्य सुविधा सामग्री की दर प्रमुखता से दृश्य रूप में।

34. अनुबंधकर्ता द्वारा यदि अतिरिक्त सुविधा के रूप मे कोई सामग्री या सेवा प्रदान की जाती हैं, तो विभाग द्वारा अनुमोदित दर पर रख सकेगा। अतिरिक्त बेड के लिये कमरे के किराये का आधा किराया वसूल किया जा सकेगा। डोरमेट्री हेतु अतिरिक्त बेड का कोई प्रावधान नही होगा।

35. प्रत्येक रूकने वाले यात्री को निम्नलिखित सुविधाऐ बिना किसी अतिरिक्त लागत के अनुबंधकर्ता द्वारा यात्री को उपलब्ध करानी होगी:–

1. प्रति बेड, 1 धुली हुई चादर व 1 बेडसीट
2. ब्लांकेट/रजाई

3. एक बडा तोलिया व दो छोटे तोलिये
4. बाथरूम सॉप
5. बाथरूम के लिये आवश्यक बाल्टी, मग व पायदान

36. अनुबंधकर्ता स्वयं के स्तर पर धर्मशाला मे ठहरने वालो के लिये भोजन सामग्री की व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र होगा।
37. अनुबंधकर्ता एवं अन्य कोई भी व्यक्ति धार्मिक मर्यादाओ के विरूध किसी प्रकार का व्यवसाय जैसे मास, मदीरा, अण्डा का व्यवसाय नही करेगा। कोई भी अतिरिक्त व्यवसाय अथवा कार्य चालू करने से पूर्व विभाग की सहमति लेना आवश्यक होगा।
38. अनुबंधकर्ता द्वारा परिसर मे किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नही देगा। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
39. देवस्थान विभाग अपनी विभागीय प्रचार सामग्री व सुविधा धर्मशाला मे रख सकेगा तथा उसको अनुबंधकर्ता को बिना बाधा के सम्पदा मे सदृश्य रूप मे लगाना होगा। आवश्यकतानुसार विभाग सम्पदा मे अपना दानपात्र या अपनी रसीद भी रखवा सकता हैं जिसकी राशि देवस्थान विभाग की होगी जिसके लिये विभागअपनी अलग प्रक्रियां निर्धारित कर सकता है।
40. विभाग की उक्त वर्णित संपदा एवं आस–पास स्थित विभाग की अन्य संपदा को अनुबंधकर्ता किसी भी प्रकार की हानि नही पहुंचाएगा तथा संपदा को सुरक्षित रखेगा। अनुबंधकर्ता राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग द्वारा बनाई विभागीय नीति से बाध्य रहेगा। राज्य सरकार एवं आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दिये जाने की स्वीकृति मे यदि समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई शर्त शामिल की जाएगी तो उनसे संबंधित अनुबंधकर्ता अनुबन्धित (बाध्य) होगा।
41. राज्य सरकार या नगर पालिका नगर विकास प्रन्यास द्वारा यदि अनुबंधित सम्पदा पर कोई शुल्क या कर लगाया जाता है, तो अनुबंधकर्ता को लीज राशि के अतिरिक्त उसका भुगतान करना होगा। नीलामी के उपरान्त किसी प्रकार से आये व्यवधान या कराधान के संबंध मे देवस्थान विभाग व अनुबंधकर्ता के मध्य नियमानुसार कोई समझौता किया जा सकेगा।
42. संपदा मे बोली के उपरान्त किसी अन्य व्यक्तियो को साझेदार अथवा उप अनुबंधकर्ता नही रखेगा। यदि अनुबंधकर्ता ने शर्तो की अवहेलना की तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही विभाग की ओर से कर दी जाएगी।
43. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर आवश्कतानुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अध्यधीन बोली की शर्तें राज्य सरकार की पूर्वानुमति से जोड/हटा सकते हैं।
44. लीज अनुबंध–पत्रः–निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत लीज डीड अनुबन्ध–पत्र निष्पादित करने हेतु वांछनीय अनुबंध का प्रारूप प्रपत्र–2 संलग्न है।
45. धर्मशाला का नामकरणः–विभाग द्वारा संचालित धर्मशाला का नामकरण राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार धर्मशाला जसवन्त सराय जोधपुर का नाम दिया जाए। इसके अतिरिक्त कोई विशेष नामकरण नही दिया जाए।
46. अनुबंध में वर्णित समस्त शर्तें दोनों पक्षो पर लागू रहेगी।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर

COMPLETION PLAN OF JASWANT SARAI, JODHPUR, RAJASTHAN

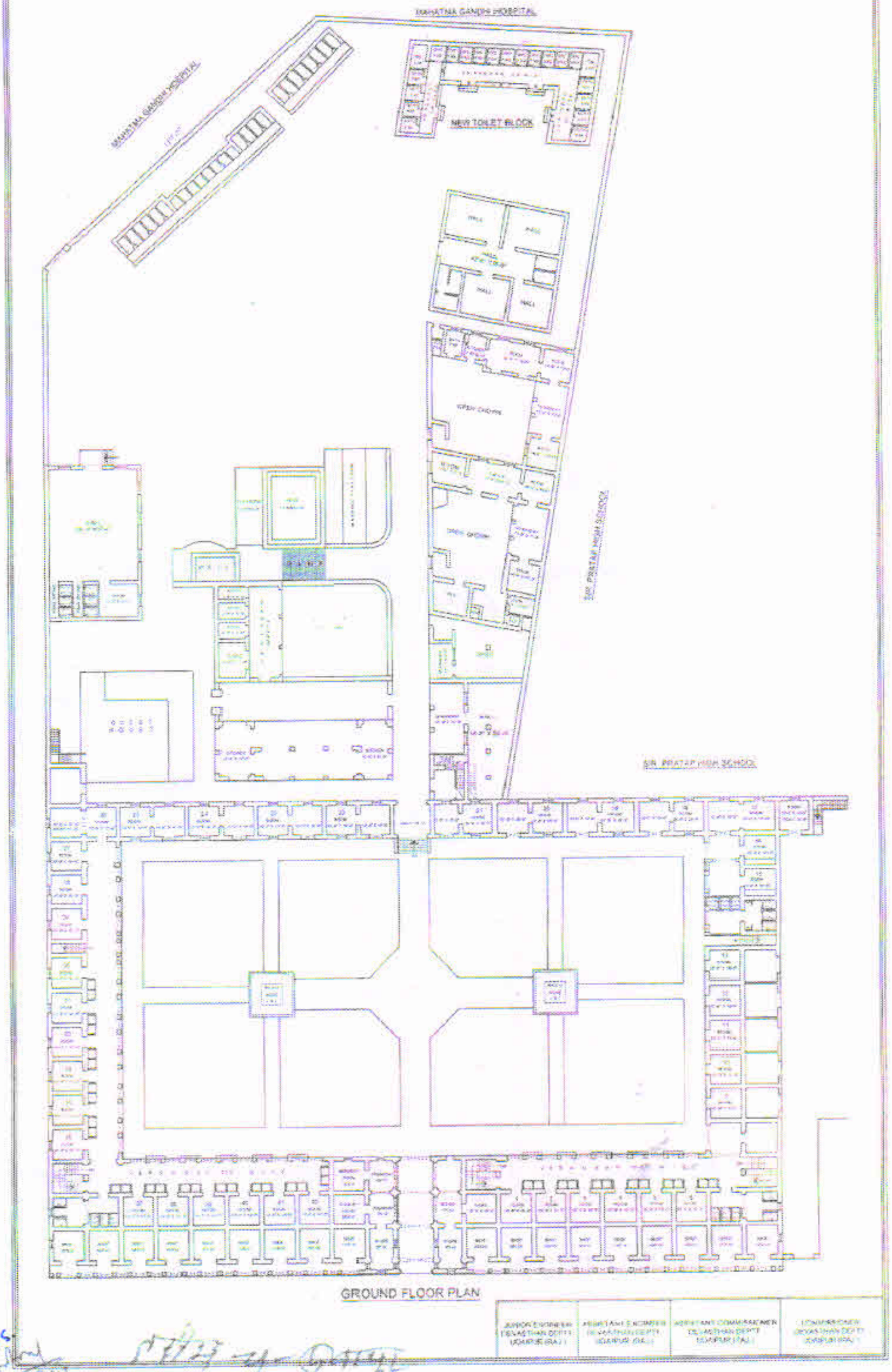

देवस्थान विभाग की नवनिर्मित धर्मशालाओं/विश्रामगृहों के संचालन हेतु
अनुबन्ध–पत्र

यह लीज अनुबंध आज दिनांक ....को राजस्थान सरकार की ओर से सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर (जिसे आगे चलकर इस लीजडीड में प्रथम पक्षकार मालिक के नाम से संबोधित किया गया है)

बहक

नाम–
पिता श्री –
जाति–
जन्म तिथि –
उम्र————वर्ष
पैन नम्बर –
आधार नम्बर –
मोबाइल नं. –
ई–मेल आई डी –
निवासी–
तहसील–
जिला–

(पार्टनरशिप फर्म द्वारा बोली लगाने की स्थिति में पंजीकृत पार्टनरशिप डीड –
संस्था का टिन नम्बर (आवश्यक होने पर)–

(जिसे आगे चल कर इस अनुबन्ध पत्र में द्वितीय पक्षकार/अनुबंधकर्ता लीजधारक के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्न प्रकार से निष्पादित किया जाता है, जिसमें लीज एवं अनुबंध की शर्तें निम्नप्रकार हैं, जिसके लिए दोनों पाबंद रहेंगे:–:–

1. यह कि राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ एवं नियंत्रित निम्न सम्पदा केबोली आधारित संचालन के लिए,यह अनुबंध द्वितीय पक्षकार (लीजधारक) एवं प्रथम पक्षकार (मालिक) के मध्य किया जाता है, जिसका विवरण निम्नप्रकार है:–

1.	धर्मशाला नाम	:	
2.	स्थान	:	
3.	मंदिर, जिसके अन्तर्गत धर्मशाला है	:	
4.	तहसील	:	
5.	जिला	:	
6.	धर्मशाला की चतुर्सीमा (पड़ोस) निम्न प्रकार है	:	
	पूर्व	:	
	पश्चिम	:	
	उत्तर	:	
	दक्षिण	:	
7.	अनुबन्ध हेतु दिया गया कुल फ्लोर एरिया	:	————वर्ग फीट
8.	अनुबन्ध हेतु दिया गया कुल बिल्ट अप एरिया	:	————वर्ग फीट
9.	निर्मित भाग का विवरण	:	
10.	(1) कुल मंजिलें भू–तल सहित :	:	
	(2) कुल कमरे :	:	
	(3) अन्य विवरण :	:	
11.	संचालन हेतु संभलाई गई अन्य सामग्री, संख्या सहित	:	

(स्पष्टता के लिए मानचित्र संलग्न है जिसमें प्रत्येक कमरे, बरामदे, चौक आदि का साईज सहित स्पष्ट वर्णन अंकित है, में दर्शित किया गया है, एवं जो इस अनुबन्ध पत्र का अभिन्न अंग हैं।)

यह कि प्रथम पक्षकार सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा द्वितीय पक्ष अनुबंधकर्ता लीजधारक को देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं दरों पर यात्रियों को अस्थाई रूप से ठहरने के लिए उपर्युक्त वर्णित धर्मशाला निम्नानुसार अवधि एवं दर पर संचालन हेतु दी जा रही है:–

(1) संचालन अवधि : **5 वर्ष**, अनुबन्ध की तिथि से

(2) वार्षिक देय राशि –..

(3) त्रैमासिक देय राशि–...

(4) अधिकतम किराया राशि रू. में–

(I) साधारण रूम ....

(II) डोरमेट्री..

Note:

(क) बोलीदाता/अनुबंधकर्ता लीजधारक उक्त निर्धारित किराये में सीजन के हिसाब से स्वयं के स्तर पर दरों में कटौती कर सकने हेतु अधिकृत होगा। उदाहरणार्थ वह विशेषतः ऑफ सीजन में कम दर रखकर ऑक्यूपेंसी बढा सकता है।

(ख) देवस्थान विभाग प्रति वर्ष में कमरों की दरों का पुनर्निर्धारण कर सकेगा।

(ग) अनुबन्ध में दी गई सम्पदा के रिक्त स्थान अथवा परिसर का प्रयोग विवाह कार्यक्रम आयोजन हेतु अनुबन्धदाता स्वयं द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर कर सकेगा, जिसके लिए वह यथावश्यक नगरीय निकाय या पंचायती राज के नियमों की पालना करेगा।

3. **लीज राशि का देय होना** :–प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत बोली में देय राशि के अनुसार तीन माह की अनुमोदित लीज राशि अग्रिम देय होगी। इसके आगे कुल वार्षिक लीज राशि में से प्रत्येक 3 माह की राशि भी अग्रिम रूप से देय होगी। निर्धारित राशि देय होने के पूर्व माह की 10 तारीख तक देय राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।

4. **लीज राशि में वृद्धि** :– एक बार संचालन हेतु बोली की जो राशि और अवधि तय होगी, उस अवधि को आगे नहीं बढाया जाएगा। यदि किसी आकस्मिक या प्रशासनिक कारण से अग्रिम बोली की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है तो, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम (*Rajasthan Rent Control Act*) के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार प्रति 1 वर्ष में 5 प्रतिशत किराये में वृद्धि के प्रावधान को मार्गदर्शक मानते हुए देय राशि पर 5 प्रतिशत वृद्धि करने की शर्त लागू होगी।

5. **विश्राम हेतु आने व रुकने वाले के लिए प्रक्रिया** :–अनुबंधकर्ता लीजधारक को प्रत्येक बुकिंग विभाग द्वारा दिए गए पोर्टल पर ऑनलाईन रूप में दर्ज करनी होगी। यदि किसी कारणवश किसी स्थानविशेष पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है तो विभागीय अनुमति से इसमें शिथिलता दी जा सकेगी। अनुबंधकर्ता लीजधारक अपनी बुकिंग के लिए किसी कॉमर्शियल पोर्टल का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होगा। इस संबंध में ऐसे पोर्टल से होने वाली किसी भी क्षति के लिए केवल अनुबंधकर्ता ही उत्तरदायी होगा। देवस्थान विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों या उनके द्वारा अनुमोदित राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों या अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए प्रत्येक धर्मशाला में 50 प्रतिशत की दर पर प्राथमिकता से दिए जाने की व्यवस्था करनी होगी। पूर्व सूचना होने पर उनके लिये प्रथम चार धर्मशालाओं में दो–दो कमरे एव गंगोत्री व धराली में एक–एक कमरा आरक्षित रहेगा। अनुबंधकर्ता स्वयं के स्तर पर रुकने वाले यात्रियों के लिए ट्रेवल एण्ड गाइड सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वतंत्र होगा, किन्तु यह किसी भी रूप में रुकने वाले के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। साथ ही इसकी दरें भी वहां पर प्रदर्शित होंगी।

6. **धर्मशाला में व्यवस्था संबंधी प्रावधान**:–

1. संपदा जैसी स्थिति में हो, वैसी स्थिति में दी जाएगी। विभाग किसी भी प्रकार की मरम्मत परिवर्तन आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग द्वारा अनुबंधकर्ता को संभलाई जाने वाली सामग्री की लिखित सूची प्रदान की जाएगी, जिसे उसे अच्छी स्थिति में वापस करना होगा। इसमें कन्ज्यूमेबल आइटम्स की पृथक् से सूची बनायी जा सकेगी, जिसे वेव–ऑफ किया जा सकेगा।

2. अनुबंधकर्ता लीजधारक को संपदा के साइन बोर्ड के उपर स्पष्ट रूप से देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम साईज की पट्टी पर **'राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार धर्मशाला, जसवन्त सराय देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार की संपदा'** लिखना आवश्यक होगा। देवस्थान विभाग द्वारा संपदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा।

3. संपदा में अनुबंधकर्ता लीजधारक किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की बिना अनुमति के नहीं करायेगा। संपदा की रंग–रोगन, सफेदी एवं मरम्मत आदि विभाग की स्वीकृति पर अनुबंधकर्ता लीजधारक स्वयं के व्यय पर करायेगा। अनुबंधकर्ता लीजधारक को सम्पदा की समुचित साफ–सफाई के अतिरिक्त, परिसर में वृक्षारोपण/गमले में फूल लगाने और उनकी देखभाल की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यकतानुसार रूफ वाटर/रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा उसकी स्वयं की लागत पर विकसित करने की सुविधा दी जा सकेगी।

4. अनुबंधकर्ता लीजधारक को संपदा में निम्न चीजें रखनी आवश्यक होंगी–
   - स्वागत पटल (Reception Counter) उपयुक्त सुविधा व मानव संसाधन सहित
   - शिकायत/फीडबैक पुस्तिका
   - शिकायत/फीडबैक पेटिका
   - कमरे, भोजन व अन्य सुविधा/सामग्री की दर (प्रमुखता से दृश्य रूप में)

5. अनुबंधकर्ता लीजधारक द्वारा यदि अतिरिक्त सुविधा के रूप में कोई सामग्री या सेवा प्रदान की जाती है तो, वह इस हेतु स्वयं के स्तर पर दर न रखकर, विभाग से अनुमोदित दर पर ही प्रदान की जायेगी। एक्सट्रा बेड के लिए कमरे के किराए का आधा वसूल किया जा सकेगा। डोरमेटरी हेतु एक्सट्रा बेड का कोई प्रावधान नहीं होगा।

6. प्रत्येक रुकने वाले यात्री को निम्न रूप में सुविधा बिना किसी अतिरिक्त लागत के देय होगी:–
   - प्रति बेड एक धुली हुई चादर व बेडशीट
   - ब्लेंकेट या रजाई
   - एक बडा तौलिया और दो छोटे तौलिए
   - बाथरूम सोप
   - बाथरूम के लिए आवश्यक बाल्टी, मग और पायदान (फुट–रग)
   - उक्त के अतिरिक्त अनुबंधकर्ता लीजधारक स्वयं के स्तर पर अतिरिक्त सामग्री निःशुल्क सामग्री प्रदान करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

7. अनुबंधकर्ता लीजधारक स्वयं के स्तर पर धर्मशाला में निवास करने वालों के लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था करने हेतु स्वतंत्र होगा। संपदा में धार्मिक मर्यादाओं के विरूद्ध किसी भी प्रकार का व्यवसाय जैसे, मांस, मदिरा, अण्डा आदि का व्यवसाय नहीं करेगा। कोई भी अतिरिक्त व्यवसाय अथवा कार्य चालू करने से पूर्व विभाग की सहमति लेना आवश्यक होगा। अनुबंधकर्ता लीजधारक द्वारा परिसर में किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नहीं दिया जायेगा।

8. देवस्थान विभाग अपनी विभागीय प्रचार सामग्री व सुविधा सम्पदा में रख सकेगा जिसे अनुबंधकर्ता लीजधारक को बिना बाधा के सदृश्य रूप में लगाना होगा। आवश्यकतानुसार विभाग सम्पदा में दानपात्र या अपनी रसीद भी रखवा सकता है, जिसकी राशि केवल देवस्थान विभाग की होगी। इसके लिए विभाग अपनी अलग प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।

9. विभाग की उक्त वर्णित संपदा एवं आस–पास स्थित विभाग की अन्य संपदा को अनुबंधकर्ता लीजधारक किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा तथा संपदा को सुरक्षित रखेगा। अनुबंधकर्ता लीजधारक राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग द्वारा बनाई विभागीय नीति से बाध्य रहेगा। राज्य सरकार या आयुक्त, देवस्थान विभाग द्वारा किराये पर दिये जाने की स्वीकृति में यदि समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई शर्त शामिल की जाएगी तो, उनसे संबंधित अनुबंधकर्ता लीजधारक अनुबन्धित (बाध्य) होगा।

10. राज्य सरकार या नगर पालिका नगर विकास प्रन्यास द्वारा यदि अनुबंधित सम्पदा पर कोई शुल्क या कर लगाया जाता है, तो अनुबंधकर्ता लीजधारक को लीज राशि के अतिरिक्त उक्त राशि का स्वयं भुगतान करना होगा। बोली के उपरांत किसी प्रकार से आये व्यवधान या कराधान के संबंध में देवस्थान विभाग व अनुबंधकर्ता लीजधारक के मध्य नियमानुसार कोई समझौता किया जा सकेगा।

11. संपदा में अनुबंध के उपरान्त लीज धारक किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को साझेदार अथवा उप अनुबंधकर्ता नहीं रखेगा। यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक ने शर्तों की अवहेलना की, तो नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही विभाग द्वारा की जाएगी।

12. अनुबंधकर्ता लीजधारक को उक्त लीज राशि के अनुरूप दी जाने वाली निर्धारित कर राशि (जीएसटी आदि) का भुगतान स्वयं करना होगा। इसमें किसी त्रुटि का उत्तरदायी वह स्वयं होगा।

13. अनुबंधकर्ता लीजधारक को नियमानुसार देय राशि विभाग के खाते में ऑनलाईन अथवा चैक के रूप में अथवा विशेष रूप से निर्दिष्ट किये जाने पर नकद राशि के रूप में मंदिर/संस्था के प्रबंधक के पास अथवा क्षेत्रीय सहायक आयुक्त, देवस्थान के यहाँ अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा, अन्यथा 18 प्रतिशत की दर से ब्याज राशि की वसूली की जाएगी तथा अनुबंधकर्ता को बेदखली करने की कार्यवाही भी देवस्थान विभाग कर सकेगा।

14. अनुबंधकर्ता लीजधारक द्वारा बिजली, पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमति से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा तथा इनके बिल का भी स्वयं ही भरण करना होगा। अनुबंध समाप्ति के समय अनुबंधकर्ता को नो ड्यूज प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उससे राशि वसूली के साथ–साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि समय पर उक्त राशि का भुगतान नहीं पाया गया, तो भी राशि वसूली के साथ–साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

15. यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक/बोलीदाता निर्धारित समय पर संपदा खाली नहीं करता है या उसकी सम्पत्ति को क्षति पहुंचाता है या बोली की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी अग्रिम जमा राशि जब्त करते में उसके विरूद्ध विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

16. यदि संपदा के क्षेत्र में किसी राजकीय प्रावधान में परिवर्तन के कारण बोली अवधि में, संचालन में प्रतिबंध लागू होता है तो, देवस्थान विभाग द्वारा बोली अवधि में उक्तानुसार अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और यदि लीजधारक द्वारा कोई अतिरिक्त राशि जमा की गई होगी तो, वह बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

17. विभाग की अनुमति के पश्चात भी यदि नगर परिषद या राज्य सरकार द्वारा नियमों के व्यतिक्रम के कारण आपत्ति व्यक्त की गई, तो इस संबंध में सम्पदा संबंधी प्रावधानों एवं नियमों का अवलोकन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। बोलीदाता अनुबंधकर्ता द्वारा कारित त्रुटि के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

18. अनुबन्ध पत्र में वर्णित किसी भी शर्त का लीज धारक द्वारा उल्लघंन करने पर लीजधारक के विरूद्ध धर्मशाला से बेदखल करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा **राजस्थान अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम, 1964** के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर धर्मशाला की बकाया राशि की वसूली एवं कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जाएगी।

19. लीज की अवधि में अनुबंधकर्ता लीजधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में लीज अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं विभाग धर्मशाला का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

20. यदि अनुबंधकर्ता लीजधारक धर्मशाला को निर्धारित अवधि के पूर्व खाली करना चाहेगा, तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह विज्ञप्ति संबंधी व्यय का वहन करने की राशि जमा कराते हुए खाली करने के न्यूनतम 6 माह पूर्व इसकी लिखित सूचना देवस्थान विभाग के संबंधित अधिकारी को देगा, अन्यथा उसे ब्लैक लिस्ट करते हुए समस्त राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी। अनुबंधकर्ता लीजधारक को यह सुविधा 1 वर्ष के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

21. देवस्थान विभाग के अधिकारी द्वारा किसी भी समय सम्पदा और उसके संचालन का निरीक्षण किया जा सकेगा। त्रुटि पाए जाने पर उसे नोटिस देते हुए यथाआवश्यक अनुबन्ध निरस्त करने अथवा शास्ति लगाने या दोनों की कार्यवाही साथ–साथ की जा सकेगी।

22. आकस्मिक कार्यों यथा बाढ़ राहत, चुनाव, महामारी आदि की दशा में परिसर संबंधित जिला कलक्टर द्वारा अस्थाई रूप से अधिगृहीत किया जा सकेगा, जिसका पृथक से किराया देय नहीं होगा, परन्तु उक्त अवधि जिसके लिए परिसर अधिगृहीत किया गया, उतने दिन या माह की गणनानुसार देय राशि प्रथम पक्ष (मालिक) द्वारा प्राप्त नहीं की जावेगी।

23. इस अनुबन्ध पत्र के निष्पादन में देय स्टॉम्प–रजिस्ट्री शुल्क और जो भी कानूनी व्यय होगा, उस सारे व्यय की राशि अदा करने का दायित्व लीजधारक का होगा।

24. लीज अनुबन्ध पत्र के पंजीयन हेतु संबंधित क्षेत्र के सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान को अधिकृत किया जाता है।

25. आयुक्त, देवस्थान विभाग आवश्यकतानुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अध्यधीनलीज अनुबन्ध की शर्तें राज्य सरकार की पूर्व अनुमति/अनुमोदन से जोड,हटा या परिवर्तन कर सकेंगे।

26. अनुबंध की तारीख से 5 वर्ष पश्चात् अनुबंध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और भवन का कब्जा 5 वर्ष पूर्ण होते ही विभाग को सौंपना होगा।

27. बोली की समस्त शर्तें अनुबंध का भाग होगी एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगी।

लीजधारक उक्त वर्णित शर्तों में निहित प्रावधानों की पालना के लिए आबद्ध और वचनबद्ध है। उक्तानुसार यह अनुबन्ध पत्र लीजधारक एवं मालिक ने स्वस्थचित्त, स्थिर बुद्धि से होश हवास में लिखा गया है, जो अभिलेख के रूप में मान्य एवं उभय पक्ष को बाध्यकारी होगा।

(हस्ताक्षर राजस्थान सरकार, देवस्थान विभाग कीओर से अधिकृत अधिकारी)
प्रथम पक्षकार (मालिक)

हस्ताक्षर अनुबन्धकर्ता
(द्वितीय पक्षकार लीज धारक)

(1) साक्षी :(1) साक्षी :
(2) साक्षी :

(2) साक्षी :

स्थानःस्थानः
दिनांक :दिनांक :

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जोधपुर

बिड क्रमांक–e-बोली सूचना संख्याः 1/स.आ.देव/खुली बोली/2019–20

तकनीकी बिड प्रपत्र

1	बिड आमंत्रित करने वाले विभाग का नाम	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जोधपुर
2	बिड का सन्दर्भ**UBN (Unique bid number)**	
3	कार्य का विवरण	लीज आधार पर धर्मशाला का संचालन
4	लीज की अनुमानित राशि	90,65,000/–
5	बोलीदाता का विवरण नाम मय पता... टेलिफोन न. मय एस.टी.डी कोड फेक्स न.. मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आइडी .... वैब साईट...	
6	बिड का प्रकार **Single-Stage: two part (cover) open competitive e-bid procedure at <u>http://eproc.rajasthan.gov.in</u>**	
6	बिड प्रपत्र की लागत	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर के पक्ष में कैश रसीद न./ईग्रास चालान नं./डी.डी. नं./बी.सी. नं......... ....दिनांक..............................राशि रूपये......... ....बैक ब्रांच का नाम... (कैश रसीद /ईग्रास चालान /डी.डी. /बी.सी. मूल ही सलग्न करना होगा)
7	बिड प्रतिभूति	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर के पक्ष में कैश रसीद न./ईग्रास चालान नं./डी.डी. नं./बी.सी. नं......... ....दिनांक..............................राशि रूपये......... ....बैक ब्रांच का नाम... (कैश रसीद /ईग्रास चालान /डी.डी. /बी.सी. मूल ही सलग्न करना होगा)
8	बिडर्स का पंजीयन सम्बन्धित विवरण **Constitution of the firm whether/proprietorship/ partnership/company**	आस्थिति(कम्पनी/संस्था/फर्म/कार्पोरेट बॉडी/वैयक्तिक रूप से पंजीकृत आदि)
	(a)In case of proprietorship firm:-	नाम... पिता का नाम.. पता.. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक........................ पंजियन अधिकारी का पता..............................

		पंजियन की वैद्यता..
	(b)In case of partnership firm	नाम... पिता का नाम... पता.. **Of all the partners (Note-Enclose the Registration certificate of firms of its attested copy/ photocopy of partnership Deed)**
	(c) In case of company (Note-Enclose the Registration certificate of company)	**Name & Address of the all directors of the company** पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक......................... पंजियन अधिकारी का पता................................ पंजियन की वैद्यता..
9	प्रोसेसिंग फीस	**Managing director RISL Payble at jaipur** के नाम राशि 500/–
10	जी.एस.टी. आई.एन. पंजीयन क्रमांक	
11	आयकर खाता संख्या एवं पेन नं.	
12	अनुभव– पिछले तीन वर्षो में होटल/विश्रान्ति गृह/धर्मशाला संचालन से संबंधित टर्नओवर दर्शाने वाली आयकर विवरणीमय सी.ए. द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट (टर्नओवर अनुमानित बोली राशि से दुगुनी होना आवश्यक है।	वित्तीय वर्ष– दस्तावेज एनेक्सर पर संलग्न हैं। 2016–17 का एनेक्सर नं............................... 2017–18 का एनेक्सर नं............................... 2018–19 का एनेक्सर नं...............................
13	पिछले 3 वित्तीय वर्षो में आयकर जमा का विवरण	वित्तीय वर्ष– निम्न आयकर जमा कराया है एवं कर निर्धारण आदेश की प्रति सलग्न है। 2016–17 राशि रू.............का एनेक्सर नं....... 2017–18 राशि रू.............का एनेक्सर नं....... 2018–19 राशि रू.............का एनेक्सर नं.......
14	बिडर के बैक खाते का विवरण	खाता संख्या... बैक/ब्रांच का नाम.. आईएफएससी कोड..
15	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ,पता, फोन नं. एवं मेल आई डी	
16	बिडर का बायोडेटा	एनेक्सर .... पर संलग्न है

दिनांक: हस्ताक्षर (बोलीदाता)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,जोधपुर

वित्तीय बोली

SCHEUDLE "H "

क्र. सं.	मद संख्या	मद विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित दर समस्त करों सहित
1	1	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार धर्मशाला जसवन्त सराय, रेल्वे स्टेशन के पास जोधपुर, (51018 वर्ग फुट कवर्ड एरिया, साधारण रूम संख्या 57, डॉरमेन्टरी 269 बैड की।	90,65,000	अंको में.................................... शब्दों में....................................

बिडर के हस्ताक्षर मय दिनांक
कम्पनी का नाम
बिड हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का पद एवं स्थिति
मोबाईल नं.
मेल आईडी

नोट :–1. प्रस्तावित दर ईप्रोक पोर्टल पर ऑनलाईन इन्द्राज करें। दर वार्षिक आधार पर ही मान्य होगी।
2. समस्त प्रकार के करों यथा आयकर/जी.एस.टी. आदि का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा किया जायेगा।

वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,जोधपुर

क्रमांक :–लेखा/बोली/वि.गृ/2019–20/ दिनांक :–

ई–बोली सूचना वर्ष 01/2019–20

राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ विद्यमान/नवनिर्मित धर्मशालाओ/विश्रांतिग्रहो को 5 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रकिया स्वरूप लीज/ठेका पर देने हेतु समान प्रकृति के कार्य करने वाले अनुभवी व इच्छुक पंजीकृत फर्मो/कम्पनी से निम्न विवरण अनुसार ऑनलाइन ई–बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत बोली दरें आमंत्रित की जाती हैं। :–

क्र. सं.	धर्मशाला/विश्रांतिग्रह का स्थान व अन्य विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	बोली शुल्क (रूपये में)	बोली प्रतिभूति ड्राफ्ट(रूपयों में)	ई–बोली प्रक्रिया शुल्क रू. में
1	2	3	4	5	6
1	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार धर्मशाला जसवन्त सराय, रेल्वे स्टेशन के पास जोधपुर,(51018 वर्ग फुट कवर्ड एरिया, साधारण रूम संख्या 57, डॉरमेन्टरी 269 बैड की।	90,65,000 वार्षिक	7500	181300	500

बिड संख्या UBN NO.	
बोली दस्तावेज बिक्री की दिनांक, समय एवं दस्तावेज के प्रस्तुत करने की विधि	दिनांक 02.07.2019 समय 11.00 बजे से दिनांक 31.07. 2019 समय 03.00 बजे तक। बोली प्रस्तुत करने की विधि (Online at Eproc website)
प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज ई–प्रोक साईट पर ऑनलाईन जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक 02.07.2019 समय 11.00 बजे से दिनांक 31.07. 2019 समय 06.00 बजे तक
बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति, प्रोसेसिंग फीस के डीडी प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 01.08.2019 एवं समय 01.00 बजे तक
तकनिकी बिड खोले जाने की तिथि एवं समय व स्थान	दिनांक 01.08.2019 समय 3.00 सांय कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय व स्थान	दिनांक 02.08.2019 समय 02.00 बजे तक
प्री बिड मिटिंग (कार्यालय परिसर मे)	दिनांक 29.07.2019 सांय 03:00 बजे

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर

(समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,जोधपुर

क्रमांक :– लेखा / बोली / वि.गृ / 2019–20 / दिनांक :–

ई–बोली सूचना वर्ष 01 / 2019–20

(संक्षिप्त नोट समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ)

राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ विद्यमान / नवनिर्मित धर्मशालाओ / विश्रांतिग्रहो को 5 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रकिया स्वरूप लीज / ठेका पर देने हेतु समान प्रकृति के कार्य करने वाले अनुभवी व इच्छुक पंजीकृत फर्मो / कम्पनी से राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार धर्मशाला जसवन्त सराय, रेल्वे स्टेशन के पास, जोधपुर (राज.) अनुमानित राशि 90,65,000 / – (अक्षरे नब्बे लाख पेसठ हजार रूपये मात्र) के संदर्भ में ऑनलाइन ई–बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत नीलामी / बोली दर दिनांक 02.07.2019 से 31.07. 2019 तक आमंत्रित की जाती हैं। जिसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट **www.eproc.rajasthan.gov.in** एवं **www. sppp.rajasthan.gov.in** तथा विभागीय वेबसाइट **www. devasthan.rajasthan.gov.in** पर देखी / डाउनलोड की जा सकती है।

नोट :– प्री बिड मिटिंग दिनांक 29.07.2019 को सांय 03:00 बजे कार्यालय परिसर मे रखी गई हैं।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर

<u>Not to be Published</u>

कमांक :– लेखा / बोली / वि.गृ / 2019–20 / दिनांक :–

प्रतिलिप : निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. श्रीमान आयुक्त महोदय, देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जोधपुर।
3. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् वित्तीय सलाहकार देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को भिजवाकर निवेदन है कि कृपया उक्त निविदा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करावें।
5. श्रीमान् कोषाधिकारी, जोधपुर
6. निदेशक, जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार एक राज्य स्तरीय (जोधपुर अंक) समाचार पत्र व एक स्थानीय जोधपुर संबंधित समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस में शीघ्र प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
7. श्रीमान सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर प्रथम, द्वितीय बीकानेर / अजमेर / भरतपुर / उदयपुर / जोधपुर / कोटा / वृन्दावन / ऋषभदेव
8. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर

(समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ)

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,जोधपुर

क्रमांक :– लेखा/बोली/वि.गृ/2019–20/ दिनांक :–

ई–बोली सूचना वर्ष 01/2019–20

(संक्षिप्त नोट समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ)

राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ विद्यमान/नवनिर्मित धर्मशालाओ/विश्रांतिग्रहो को 5 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रकिया स्वरूप लीज/ठेका पर देने हेतु समान प्रकृति के कार्य करने वाले अनुभवी व इच्छुक पंजीकृत फर्मो/कम्पनी से राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार धर्मशाला जसवन्त सराय, रेल्वे स्टेशन के पास, जोधपुर (राज.) अनुमानित राशि 90,65,000/– (अक्षरे नब्बे लाख पेसठ हजार रूपये मात्र) के संदर्भ में ऑनलाइन ई–बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत नीलामी /बोली दर दिनांक 02.07.2019 से 31.07. 2019 तक आमंत्रित की जाती हैं। जिसकी विस्तृत जानकारी वेबसाइट **www.eproc.rajasthan.gov.in** एवं **www. sppp.rajasthan.gov.in** तथा विभागीय वेबसाइट **www. devasthan.rajasthan.gov.in** पर देखी/डाउनलोड की जा सकती है।

नोट :– प्री बिड मिटिंग दिनांक 29.07.2019 को सांय 03:00 बजे कार्यालय परिसर मे रखी गई हैं।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर

Not to be Published

कमांक :– लेखा/बोली/वि.गृ/2019–20/2204 दिनांक :– 01/07/2019

प्रतिलिप : निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

1. श्रीमान आयुक्त, देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर।
3. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. श्रीमान् कोषाधिकारी, जोधपुर
5. निदेशक, जनसम्पर्क कार्यालय, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि नियमानुसार एक राज्य स्तरीय (जोधपुर अंक) समाचार पत्र व एक स्थानीय जोधपुर संबंधित समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस में शीघ्र प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
6. श्रीमान सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर प्रथम, द्वितीय बीकानेर/अजमेर/भरतपुर/उदयपुर/जोधपुर /कोटा/वृन्दावन/ऋषभदेव
7. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर

वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,जोधपुर

क्रमांक :–लेखा / बोली / वि.गृ / 2019–20 / 2192   दिनांक :– 01/07/2019

ई–बोली सूचना वर्ष 01 / 2019–20

राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीनस्थ विद्यमान / नवनिर्मित धर्मशालाओ / विश्रांतिग्रहो को 5 वर्ष के लिये संचालन व संधारण प्रकिया स्वरूप लीज / ठेका पर देने हेतु समान प्रकृति के कार्य करने वाले अनुभवी व इच्छुक पंजीकृत फर्मो / कम्पनी से निम्न विवरण अनुसार ऑनलाइन ई–बोली प्रक्रिया के अन्तर्गत बोली दरें आमंत्रित की जाती हैं। :–

क्र. सं.	धर्मशाला / विश्रांतिग्रह का स्थान व अन्य विवरण	अनुमानित राशि (आरक्षित मूल्य)	बोली शुल्क (रूपये में)	बोली प्रतिभूति ड्राफ्ट(रूपयों में)	ई–बोली प्रक्रिया शुल्क रू. में
1	2	3	4	5	6
1	**राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार धर्मशाला जसवन्त सराय, रेल्वे स्टेशन के पास जोधपुर,(51018 वर्ग फुट कवर्ड एरिया, साधारण रूम संख्या 57, डॉरमेन्टरी 269 बैड की।**	90,65,000 वार्षिक	7500	181300	500

बिड संख्या UBN NO.	
बोली दस्तावेज बिक्री की दिनांक, समय एवं दस्तावेज के प्रस्तुत करने की विधि	दिनांक 02.07.2019 समय 11.00 बजे से दिनांक 31.07. 2019 समय 03.00 बजे तक। बोली प्रस्तुत करने की विधि (Online at Eproc website)
प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज ई–प्रोक साईट पर ऑनलाईन जमा कराने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक 02.07.2019 समय 11.00 बजे से दिनांक 31.07. 2019 समय 06.00 बजे तक
बोली शुल्क, बोली प्रतिभूति, प्रोसेसिंग फीस के डीडी प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 01.08.2019 एवं समय 01.00 बजे तक
तकनिकी बिड खोले जाने की तिथि एवं समय व स्थान	दिनांक 01.08.2019 समय 3.00 सांय कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जोधपुर
वित्तीय बिड खोलने की दिनांक व समय व स्थान	दिनांक 02.08.2019 समय 02.00 बजे तक
प्री बिड मिटिंग (कार्यालय परिसर मे)	दिनांक 29.07.2019 सांय 03:00 बजे

सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग
जोधपुर